उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग-1
संख्या-सं0वि0क0नि0-1-1684/11-2015-128/2015
लखनऊ: दिनांक: 03 सितम्बर, 2015

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

पदोन्नतियों में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में मा0 उच्चतम् न्यायालय में योजित सिविल अपील सं0-2608/2011 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनॉक 27-4-2012 का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

> "In the ultimate analysis, we conclude and hold that section-3(7) of 1994 Act and rule-8A of the 2007 Rules are ultra-vires as they run counter the dictum in M.Nagaraj (Supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indra Sawhney (Supra) and without the aid or assistance of section-3(7) and rule-8A shall remain undisturbed."

2- मा0 उच्चतम् न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय दिनॉक 27-4-2012 के अनुपालन में कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0-4/1/2002टी0सी0-1-का-2-2012, दिनॉक 8-5-2012 तथा सं0-4/1/2002टी0सी0-1-का-2-2012, दिनॉक 13-5-2012 के माध्यम से पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी। कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व निर्गत शासनादेश सं0-4/1/2002टी0सी0-1-का-2-2012, दिनॉक 28-4-2012 के क्रम में शासनादेश सं0-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2-2015, दिनॉक 21-8-2015 के प्रस्तर-6(क) में पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनॉक 28-4-2012 के पूर्व एवं दिनॉक 15-11-1997 के बाद प्रोन्नत कर्मियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया :-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3(7) के प्राविधान के अनुसार आरक्षण का लाभ देते हुए दिनॉक 15-11-1997 के पश्चात् पदोन्नत कार्मिकों तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (यथा संशोधित) के नियम-8 (क) का लाभ देकर जिन कार्मिकों की पदोन्नति की गयी है, उन्हें पदावनत कर दिया जाय। वर्तमान वरिष्ठता सूची, जो कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनॉक 8-5-2012 एवं 13-5-2012 के क्रम में जारी की गयी है, के अनुसार दिनॉक 15-11-97 के पश्चात् पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम-8 (क) का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कर्मी, जिस स्तर पर कार्यरत हो, उस स्तर तक उन्हें पदावनत किया जाय।

FROM :KAR03 FAX NO. :91 522 2239076 03 Sep. 2015 06:39PM P3

3- कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनॉक 21-8-2015 के प्राविधानानुसार कमिश्नर, वाणिज्य कर के पत्र सं0-स्था0-2-पदोन्नति में आरक्षण/प्रत्यावर्तन-2015/382/वाणिज्य कर, दिनॉक 31-8-2015 एवं सं0-स्था0-2-पदोन्नति में आरक्षण/प्रत्यावर्तन-2015/387/वाणिज्य कर, दिनॉक 01-9-2015 द्वारा असिस्टेंट कमिश्नर संवर्ग के 09 अधिकारियों, जो दिनॉक 15-11-97 के बाद पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत हुए हैं, उन्हें वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदावनत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया।

4- कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 उच्चतम् न्यायालय के निर्णय दिनॉक 27-4-12 के समादर में कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनॉक 21-8-15 के प्रस्तर-6(क) के अनुपालन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3(7) के प्राविधान के अनुसार आरक्षण का लाभ प्राप्त करके दिनॉक 15-11-1997 से दिनॉक 27-4-2012 के मध्य पदोन्नत हुए निम्नलिखित असिस्टेंट कमिश्नर को स्तम्भ-3 में अंकित पद पर तात्कालिक प्रभाव से पदावनत किया जाता है :-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम, पदनाम	पदावनत पद
1	2	3
1.	श्री सुन्दर सिंह बरफाल, असि0कमि0	वाणिज्य कर अधिकारी
2.	श्री सुरेश चन्द्र, असि0कमि0	वाणिज्य कर अधिकारी
3.	श्री बहादुर सिंह खाती, असि0कमि0	वाणिज्य कर अधिकारी
4.	श्री रामलाल, असि0कमि0	वाणिज्य कर अधिकारी
5.	श्री ब्रजपाल सिंह, असि0कमि0	वाणिज्य कर अधिकारी
6.	श्री सुरेन्द्र कुमार, असि0कमि0	वाणिज्य कर अधिकारी
7.	श्री राजमणि, असि0कमि0	वाणिज्य कर अधिकारी
8.	श्री टी0आर0 पुष्कर, असि0कमि0	वाणिज्य कर अधिकारी
9.	श्रीमती चन्द्र कान्ता, असि0कमि0	वाणिज्य कर अधिकारी

5- शासनादेश दिनॉक 21-8-2015 के प्रस्तर-6(ख) के उपबन्धों के अधीन उपर्युक्त पदावनत किये गये आरक्षित श्रेणी के कार्मिकों को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा। उक्त वर्णित संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदावनत किये गये आरक्षित श्रेणी के कार्मिक से आसन्न वरिष्ठ कर्मी को अनुमन्य मूल वेतन के बराबर पदावनत कर्मी का मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा। पदावनति के ठीक पूर्व माह में पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (मूल वेतन, मॅहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि) में पदावनति के उपरान्त कोई वित्तीय हानि न हो, इसके लिये पदावनत किये गये

03 Sep. 2015 06:38PM P1 FAX NO. :91 522 2239076 M :KAR03

कार्मिक की पदावनति के उपरान्त निर्धारित मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों तथा पदावनति के ठीक पूर्व के माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों में जो अन्तर होगा, वह वैयक्तिक वेतन के रूप में पदावनत कार्मिक को अनुमन्य होगा। वैयक्तिक वेतन आगे के वर्षो में उस सीमा तक कम होता जायेगा, जिस सीमा तक पदावनत कर्मी के मूल वेतन में वार्षिक वेतनवृद्वि के कारण मूल वेतन तथा वार्षिक वेतनवृद्धि तथा अन्य भत्तों सहित आधारित सकल वेतन में वृद्धि हो रही है। पदावनत कर्मी की पदावनति के ठीक पहले के माह में प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियाँ तब तक फ्रीज रहेंगी, जब तक कि पदावनत कर्मी से आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियाँ इसके बराबर या इससे अधिक न हो जाये। तद्नुसार उपर्युक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण एवं ज्येष्ठता सूची में क्रम परिवर्तित करने की कार्यवाही तत्काल की जाय।

6- आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिक पदावनति के पश्चात् पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधायें प्राप्त करेगें। पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परलब्धियों (जिसमें वैयक्तिक वेतन शामिल होगा) के आधार पर वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। अनारक्षित वर्ग (जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पदधारकों द्वारा इस आधार पर अतिरिक्ति परिलब्धियों अथवा वैयक्तिक वेतन की मॉग नहीं की जायेगी कि वे पदावनत कर्मी से संशाधित वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठ हैं। उपरोक्तानुसार पदावनति किये जाने के परिणामस्वरूप जो रिक्तियाँ उपलब्ध होंगी, उन पर उक्त् वर्णित संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

श्री राज्यपाल की ओर से,

हरेन्द्र वीर सिंह
विशेष सचिव।

<u>पृष्ठांकन सं0-सं0वि0क0नि0-1-1684 (1)/11-2015, तद् दिनॉंक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा) द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ को उक्त पदावनत कार्मिकों के संबंध में शासनादेश दिनॉंक 21-8-2015 के प्रस्तर-6(क) एवं 6(ख) के अनुसार उनके पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करते हेतु प्रेषित।

6- कर एवं निबन्धन अनुभाग-3

7- संबंधित अधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।

8- ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर, मुख्यालय को संबंधित अधिकारी की चरित्र पंजिका में रखने हेतु।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 शुक्ल)

संयुक्त सचिव।

पृ0पत्र संख्या-स्था0-2-पदोन्नति में आरक्षण/ पदावनति-2015/ 2224 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(स्थापना- अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 04 सितम्बर, 2015,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।

2- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर नोएड़ा / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली / सहारनपुर / गोरखपुर / कानपुर-प्रथम व द्वितीय / गाजियाबाद / झॉसी को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित अधिकारियों को पदावनत आदेश से संबंधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-स0वि0क0नि0-1-1684/11-2015-128/2015 दिनांक 03-09-2015 की प्रति तामील कराकर उन्हें उनके वर्तमान पद से तत्काल कार्यमुक्त करके वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर अपने जोन में कार्यभार ग्रहण कराकर मुख्यालय को लौटती डाक से अवगत कराने का कष्ट करें ।

3- ज्वाइन्ट कमिश्नर(सेवावाद) वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गौतमबुद्वनगर /बरेली /सिकन्दराबाद/ बुलन्दशहर/ सिद्वार्थनगर/ मुजफ्फरनगर/ बदायूँ /सन्तकबीरनगर / देवरिया / कर्बी / बॉदा / उन्नाव ।

5- डिप्टी कमिश्नर(प्रशासन)/ आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर, गौतमबुद्वनगर /बरेली /सिकन्दराबाद/ बुलन्दशहर/ सिद्वार्थनगर/ मुजफ्फरनगर/ बदायूँ /सन्तकबीरनगर/ देवरिया / कर्बी / बॉदा / उन्नाव ।

6- डिप्टी कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को उक्त आदेश की एक प्रति विभाग के बेबसाईट पर अपलोड हेतु ।

6- संबंधित अधिकारियों को नाम से ।

7- स्था0-1, पटल (प्रभारी) / अधिष्ठान पटल(श्री ज्ञान सिंह, श्री दीक्षित (संख्याधिकारी)/श्री राघवेन्द्र/ श्री रविनिगम, स्थापना राजपत्रित अनुभाग मुख्यालय ।

4.9.2015

(सुनील कुमार राय)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।